नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2013

का.नि.आ 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना इंजीनियर सेवा (औद्योगिक समूह ''घ'' पद) भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सेना इंजीनियर सेवा में समूह 'ग' औद्योगिक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना इंजीनियर सेवा औद्योगिक समूह 'ग' ट्रेड्समैन मेट : (अर्द्धकुशल) पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिको और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ट्रेड्समैन मेट (अर्द्धकुशल) * जिसमें (पूर्व) मजूदर और विभिन्न निम्नलिखित पद भी हैं : (क) मेट-यान यांत्रिकी (ख) मेट इलैक्ट्रिशियन (ग) मेट रेफ्रिजरेशन और एयर कंडिशनिंग मिस्त्री (घ) मेट-बढ़ई (ङ) मेट-फिटर (च) मेट-राजमिस्त्री (छ) मेट-पेंटर	37689* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अननुसचिवीय और अराजपत्रित	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	1. 18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) 2. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की जा सकती है । यह शिथिलता आयु-सीमा में इन प्रवर्गों के लिए किसी अन्य स्वीकृत शिथिलता के संचयी रूप में उपलब्ध रहेगी ।

	(6)
(ज) मेट-जनरलयांत्रिकी (झ) मेट-पाइप फिटर (ञ) मेट-सोफा साज (ट) मेट-वाल्वमैन	3. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) 4. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास । और (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सुसंगत ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से पास प्रमाणपत्र ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	भूतपूर्व सैनिकों के लिए (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन) : सशस्त्र बलों में इंजीनियर कोर से लांस नायक, नायक, हवलदार, ऑफट्रेड रैंक के यान मिस्त्री, इलैक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन मिस्त्री, बढ़ई, राजमिस्त्री, पेंटर, फिटर जनरल मिस्त्री,

	(11)
	पाइप फिटर, सोफा साज शाखा के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को चयनित होने पर उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवार्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) कमांडर कार्य इंजीनियर या कार्यपालक इंजीनियर से अन्यून पंक्ति का इसका नामनिर्देशिती या समतुल्य —अध्यक्ष (ii) कार्यपालक इंजीनियर या सहायक कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य —सदस्य (iii) असंबद्ध विभाग का समूह 'क' या समूह 'ख' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[सं. पी. सी.-बी./75012/जन./आई. एन. डी./आर. आर./सी. एस. सी. सी./285/र. (नि.)/2013]

दलपत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 2013

S.R.O. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Military Engineer Services (Industrial Group 'D' posts) Recruitment Rules 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'C' Industrial posts in the Military Engineer Service, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Military Engineer Services Industrial Group 'C' Tradesman Mate (Semi-skilled) posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification, Pay Band and Grade Pay and Scale of Pay .—The number of post, their classification, pay band and grade pay and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and then other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*Tradesman Mate (Semi Skilled) *This includes (erstwhile) Mazdoors and the following posts of existing Mates in various trades : (a) Mate-Vehicle Mechanic (b) Mate-Electrician (c) Mate-Refrigeration Mechanic and Air Conditioning (d) Mate-Carpenter (e) Mate-Fitter (f) Mate-Mason (g) Mate-Painter (h) Mate-Fitter General Mechanic (i) Mate-Pipe fitter (j) Mate-Upholsterer (k) Mate-Valveman	37689* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Industrial Non-Ministerial and Non-Gazetted.	Pay Band-1 : (Rs. 5200—20200) plus Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	1. Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). 2. Relaxable for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Other Backward Classes and other categories as notified by the Central Government from time to time. This relaxation is available cumulatively with any other admissible relaxation in age limit for these categories. 3. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of

(6)
Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). 4. In respect of posts the appointments to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date up to which the employment exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Matriculation Pass from a recognised Board. and Industrial Training Institute Pass certificate from a recognized Institute in relevant trade.	Not applicable	Two years for Direct recruits.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputationor absorption and per cent of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
80% by Direct Recruitment. 20% by Deputation or Re-Employment of Armed Forces personnel failing which by direct recruitment.	**For Armed forces personnel (Deputation or Re-Employment)** Armed forces personnel from corps of Engineers of the rank Lance Naik, Naiks, Hawaldars, of trade Vehicle Mechanic, Electrician, Refrigeration Mechanic, Carpenter, Fitter, Mason, Painter, Fitter General Mechanic, Pipe fitter, Upholsterer due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed under column (7) shall also be considered. If slected, such persons will be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the armed forces and thereafter they may be continued on re-employment basis. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (Re-employment up to the age of superannuanon with reference to civil post).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation consisting of) :	Not applicable.
(i) Commander Works Engineer or his nominee not below the rank of Executive Engineer or equivalent —Chairman	
(ii) Executive Engineer or Assistant Executive Engineer or equivalent —Member	
(iii) Group 'A' or 'B' officer not connected with the Department —Member	

[No. PC-B/75012/Gen/Ind/Mates/RR/CSCC/285/D(Apptts)/2013]

DALPAT SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.